साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : विद्युत भवन, बेली रोड, पटना-21
बिहार सरकार का उपक्रम
CIN No. U40109BR2012SGC018890

कार्यालय आदेश संख्या 1986 **दिनांक** 02/08/2019

SB-XI/आरोप–2015/2019

श्री अवधेश कुमार, अदक्ष खलासी, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, कदमकुऑ को दिनांक 29.01.2007 से बिना सूचना के अपने कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, डाकबंगला (पेसू) पटना के कार्यालय आदेश संख्या 29 दिनांक 21.05.2014 के द्वारा पूर्ववर्ती बोर्ड के संशोधित स्थायी प्रमाणित आदेश कंडिका 29 (बी) में निहित प्रावधान के आलोक में निलंबित किया गया और विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, मौर्यालोक में इनका मुख्यालय बनाया गया। विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, पेसू (प0) पटना के कार्यालय आदेश संख्या 15 दिनांक 04.02.2015 तथा कार्यालय आदेश संख्या 174 दिनांक 22.02.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई तथा विद्युत कार्यपालक अभियंता, पाटलीपुत्रा को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय कार्यवाही संचालन के दौरान भी वे अनुपस्थित रहे। विद्युत कार्यपालक अभियंता–सह–जॉच पदाधिकारी, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, पाटलीपुत्रा के द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में बिना सूचना के अनुपस्थिति के आरोप को प्रमाणित पाया। विद्युत कार्यपालक अभियंता–सह–जॉच पदाधिकारी, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, पाटलीपुत्रा के द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के आलोक में महाप्रबंधक सह–विद्युत अधीक्षण अभियंता, पेसू विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, पटना के पत्रांक 3644 दिनांक 28.12.2016 के द्वारा श्री कुमार को दिनांक 29.01.2007 से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण बर्खास्त करने की अनुशंसा के साथ पत्र कंपनी मुख्यालय को प्रेषित की गई।

श्री अवधेश कुमार (निलंबित) अदक्ष खलासी, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, डाकबंगला के विरूद्ध लगाया गया आरोप, साक्ष्य एवं अभिलेख के समीक्षोपरांत श्री कुमार के विरूद्ध पाये गये आरोप के लिए कार्यालय आदेश संख्या 478 दिनांक 15.03.2018 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा पूछ गया। वर्ष 2018 में मुख्यालय द्वारा श्री कुमार के घर के पता पर कारण पृच्छा भेजा गया लेकिन उनके गॉव में नहीं रहने के कारण पत्र बिना तामिला के वापस आ गया, जिसके फलस्वरूप दैनिक समाचार पत्र "प्रभात खवर में दिनांक 06.07.2019 को उन्हें उपस्थित होने हेतु सूचना प्रकाशित किया गया। इसके बावजूद भी न तो उनके द्वारा योगदान दिया गया न ही इस संबंध में कोई सूचना दी गई। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी सेवा में रहने की काई अभिरूचि नहीं है एवं इस संबंध उन्हे कुछ नहीं कहना है, जो घोर अनुशासनहीता एवं बिहार सेवा संहित के विरूद्व है। सक्षम प्राधिकार के द्वारा समीक्षोपरांत श्री अवधेश कुमार, अदक्ष खलासी (निलंबित) को बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।

तद्नुसार श्री अवधेश कुमार, अदक्ष खलासी (निलंबित) विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, कदमकुऑ को सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति श्री अवधेश कुमार को उनके स्थायी पता पर भेज दी जाय।

आदेश से

ह0/–

(परमानन्द बिहारी)
उप महाप्रबंधक (कार्मिक)

ज्ञापांक../ **दिनांक**................................/

प्रतिलिपि :–अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर (हो0) कंपनी लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक के आप्त सचिव, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

(परमानन्द बिहारी)
उप महाप्रबंधक (कार्मिक)

कृ0पृ0उ0

विनय कुमार

27

ज्ञापांक ..../ **दिनांक** ..../

प्रतिलिपिः— श्री अवधेश कुमार (निलंबित) अदक्ष खलासी, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, डाकबंगला, पिता स्व0 उत्तम राम, ग्राम+पो0— दौलतपुर, थाना— भदौर, जिला— पटना (बाढ़) को सूचनार्थ एवं आवशयक कार्रवाई हेतू प्रेषित।

निबंधित

ह0/—

(परमानन्द बिहारी)

उप महाप्रबंधक (कार्मिक)

ज्ञापांक ......385....../ **दिनांक** ......02/08/2019....../

प्रतिलिपिः— महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता, पेसू विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, पेसू, पटना/विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, पेसू (प0), पटना/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, डाकबंगला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित।

(परमानन्द बिहारी)

उप महाप्रबंधक (कार्मिक)

Snigdha